


26/8/19

पत्रावली दिनांक 23.8.2019 से 25.8.2019 तक अवकाश होने पर आज पेश हुई। वादीगण वकील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि प्रतिवादीगण के सम्मन तलबाना पेश किये जाने के प्राप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी आदिनांक तक वादीगण द्वारा सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया है, और न ही वादीगण न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि वादीगण वकील प्रकरण को अनावश्यक लम्बित करना चाहते हैं, और न्यायालय आदेश की पालना भी नहीं कर रहे हैं। इसी सूरत में वादीगण को आगे ओर अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। एवं आज न्यायालय समय में तीन बार अलग अलग समय में आवाजें दिलवाई गईं। लेकिन वकील व वादीगण में से कोई हाजिर नहीं हुआ है।

लिहाजा वादीगण का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर


सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

